भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2262

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना

2262. श्रीमती शांभवी:
श्री राजेश वर्मा:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता आवंटित की गई है और यदि हाँ, तो इसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) सरकार आयुष उपचारों को, विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना जैसी पहलों के माध्यम से, मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में किस प्रकार एकीकृत करने की योजना बना रही है;

(घ) क्या आयुष पद्धतियों की वैश्विक पहुँच बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कोई सहयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो ऐसी साझेदारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आयुष औषधियों और चिकित्सकों के गुणवत्ता नियंत्रण और विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, आयुष मंत्रालय एनएएम दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों के तहत देश में आयुष पद्धतियों के समग्र विकास तथा संवर्धन हेतु किए जा रहे उनके प्रयासों में मदद दे रहा है। एनएएम अन्य *बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रावधान करता है:-

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास में) के लिए भवन का निर्माण/उस क्षेत्र में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण जहां आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(v) 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।
(vii) आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम।
(viii) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है।
(ix) आयुष स्नातक-पूर्व संस्थाओं तथा आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों/अतिरिक्त पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों का अवसंरचनात्मक विकास।

एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) सहित विभिन्न अनुमोदित कार्यकलापों के लिए 5670.82 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना भी कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य, देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों का आयोजन करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन करता है, स्वास्थ्य मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा मल्टीमीडिया अभियान आदि आयोजित करता है।

(ग): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधा केन्द्रों की सह-स्थापना करने की कार्यनीति अपनाई है ताकि एक ही स्थान पर रोगियों को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प मिल सके। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है, जबकि आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत साझा जिम्मेदारियों के रूप में आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें स्वास्थ्य उप केंद्रों में अपग्रेड करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है और आयुष चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया है, सुविधाओं में आने वाले लाभार्थियों को आयुष उपचार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(घ): जी हां, आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (आईसी योजना) विकसित की है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषधि विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन, विकास तथा मान्यकरण में मदद देता है; हितधारकों के बीच बातचीत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना करके शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता व रुचि बढ़ाने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करता है।

सीएसएस आईसी योजना के अंतर्गत 25 अलग-अलग देशों के साथ आपसी समझौता ज्ञापनों, 15 आयुष पीठ समझौता ज्ञापनों तथा संस्थान दर संस्थान स्तर के आपसी 52 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। औषधि नियम, 1945 के नियम 158-ख तथा नियम 85 (क से ठ) में क्रमश: आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी (एएसएसयू) और होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देशों का प्रावधान है। निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषधियों तथा होम्योपैथी औषधियों के लिए क्रमशः औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न तथा अनुसूची-ङ-I के अनुसार सुरक्षा एवं प्रभावशीलता के प्रमाण सहित विनिर्माण इकाइयों तथा औषधियों के लाइसेंस हेतु निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करें, उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) का पालन करें तथा संबंधित भेषजसंहिताओं में निर्धारित औषधियों के गुणवत्ता मानकों को भी अपनाएं।

औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली विनिर्माण फर्मों अथवा बिक्री की दुकानों से नियमित रूप से औषधियों के नमूने एकत्र करते हैं तथा उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के तहत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं और यदि कोई नमूना ''मानक गुणवत्ता का नहीं'' पाया जाता है, तो उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है जैसे कि बाजार से उत्पादों की बिक्री रोक दी जाती है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), जो आयुष मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करते हैं।

पीसीआईएम एंड एच, एएसयू एंड एच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन हेतु भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (औषधि विश्लेषक) तथा अन्य हितधारकों को एएसयू एंड एच औषधियों के मानकीकरण/गुणवत्ता नियंत्रण/परीक्षण अथवा विश्लेषण के लिए एएसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण पर, एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयुक्त प्रयोगशाला तकनीक एवं पद्धतियों पर नियमित अंतराल पर क्षमता वर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता तथा क्षमता के परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के नियम 160-क से ञ के अंतर्गत मान्यता दी जा रही है। आज की तिथि तक, औषधि नियम, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत विनिर्माताओं के लिए 108 निजी प्रयोगशालाएं अनुमोदित अथवा लाइसेंस प्राप्त हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों तथा कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता की वैध नमूनों के लिए जांच कर रही हैं।

आयुष मंत्रालय ने एक घटक के तहत उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को मदद देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना अर्थात आयुष औषधि गुणवत्ता

एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है। इस योजना हेतु पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को प्रोत्साहित करता है:-

- आयुष औषधियों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विनियामक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में एक आयुष वर्टिकल सृजित किया गया है। इसके अलावा, सीडीएससीओ आयुष औषधियों को, जो ऐसे मानकों का अनुपालन करती हैं, फार्मास्युटिकल उत्पाद का विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करता है।

- गुणवत्ता प्रमाणन योजना जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता का तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी उत्पादों को आयुष मानक और प्रीमियम मार्क प्रदान करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

*****